राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3043/2023

सीताराम –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय, लेखा एवं कोष विभाग जयपुर, राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पंचायत समिति पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 26.10.2023
आदेश की दिनांक : 09.11.2023

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। के पद पर कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति पावटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन विकास अधिकारी कार्यालय पंचायत समिति पावटा से अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पावटा जिला जयपुर में किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवाने बाबत एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–2) की पालना में अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन के लिए अविलम्ब कार्यग्रहण करवाया जावे।

अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन विकास अधिकारी कार्यालय पंचायत समिति पावटा से अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पावटा जिला जयपुर किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को नवीन पदस्थापित स्थान पर प्रत्यर्थी विभाग निर्वाचन आयोग से नियमानुसार अनुमति लेकर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवाया जावे एवं कार्यमुक्ति आदेश से कार्यग्रहण तिथि के बीच की अवधि का नियमानुसार निर्णय किया जावे।

अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य